भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फ. संख्या 6/16/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 07.02.2025

अंतिम निष्कर्ष

केस नं. एडी (ओआई) - 15/2023

विषय: चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किए गए "फास्टनरों" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग ड्यूटी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. "उपयुक्त उपकरण और मशीनरी इंडियन प्रा. (इसके बाद "एटीएम" के रूप में संदर्भित) और "नॉर्दर्न इंडिया स्क्रू मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन" (इसके बाद "एसोसिएशन" के रूप में संदर्भित), (सामूहिक रूप से "आवेदक उद्योग" के रूप में संदर्भित) ने नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष अभ्यावेदन दायर किए जिसमें कहा गया है कि फास्टनरों के भारतीय घरेलू उत्पादक (इसके बाद "विषय माल" या "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में संदर्भित) आयात की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण घायल हो रहे हैं (ख) चीन जनगण (जिसे इसके बाद विषय देश कहा गया है) से पाटित मूल्यों पर संबंधित वस्तुओं के आयात पर आयात किया जाता है।

2. प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 5(4) के अनुसार एटीएम और एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का संज्ञान लिया, जो निम्नानुसार है:

> *"(4) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी स्व-प्रेरणा से अन्वेषण आरंभ कर सकेगा, यदि वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1952 (1952 का 52) के अधीन नियुक्त (सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त,*

यथास्थिति) से ***प्राप्त सूचना से या किसी अन्य स्रोत*** *से यह समाधान कर सकेगा कि उपधारा (1952 का 52) के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क के विद्यमान होने के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है। उप-नियम (3) का खंड (ख)।*(महत्व दिया)

3. प्राधिकारी ने अभ्यावेदनों में निहित सूचना से मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में देश में उत्पाद के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और यह सुनिश्चित किया कि क्या *प्रथम दृष्टया* पर्याप्त साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद का निर्यात चीन से सामान्य मूल्य के अनुमानों से कम मूल्य पर किया जा रहा है, क्या इससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है और क्या कथित डंपिंग की मौजूदगी, डिग्री और प्रभाव का पता लगाना। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क अधिकारियों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में जानकारी मांगी। प्राधिकारी ने इन अभ्यावेदनों में निहित सूचना के आधार पर पाटन की मात्रा, आयातों की मात्रा की प्रवृत्ति, चीन से आयात मूल्य और भारतीय उद्योग पर संभावित प्रभाव के संबंध में सूचना पर भी विचार किया। प्राधिकारी ने पाया कि *जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसे पाटन, क्षति और ऐसे पाटित आयातों तथा कथित क्षति के बीच आकस्मिक संबंध के संबंध में* प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य थे।

4. इस तरह के डंप किए गए आयातों और जांच शुरू करने को सही ठहराने के लिए कथित क्षति के बीच डंपिंग, क्षति और आकस्मिक लिंक के बारे में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य *के अस्तित्व के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद,* प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/16/2023-डीजीटीआर दिनांक 22 सितंबर 2023 के माध्यम से चीन पीआर से "फास्टनरों" के आयात से संबंधित डंपिंग शुल्क रोधी जांच शुरू की, (ख) संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबंधित माल के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए जो यदि उद्ग्रहण किया जाता है तो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित एक अधिसूचना सं 10/2006-सीमा शुल्क (एक्सपेक्टिनेरी) दिनांक 10-11-2010 को प्रकाशित किया गया है।

ख. प्रक्रिया

5. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने नियमों के नियम 5(5) के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबंधित देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने एटीएम और एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, दिनांक 22 सितंबर 2023 को अधिसूचना संख्या 6/16/2023-डीजीटीआर के माध्यम

से एंटी-डंपिंग जांच शुरू की और उसी के संबंध में भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया।

iii. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबंधित देश के दूतावास, फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, उत्पाद शुल्क कानून टाइम्स और आईसीसी को जांच में भाग लेने के इच्छुक स्टेकहोल्डरों के व्यापक प्रकाशन और सुग्राही बनाने के लिए अग्रेषित की और उन्हें पाटनरोधी नियमों के नियम 6(2) के अनुसार लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। उन्हें नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जवाब देने की सलाह दी गई थी। उक्त पत्रों ने इच्छुक पार्टियों को पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने और यदि आवश्यक हो तो संचार की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव करने का अवसर भी दिया। अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने उपरोक्त समय-सीमा भी बढ़ा दी।

iv. प्राधिकारी ने एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 (3) के अनुसार जवाब देने वाले हितधारकों और संबंधित देश के दूतावास को आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति प्रदान की। अनुरोध के अनुसार अन्य इच्छुक पार्टियों को आवेदन की एक प्रति भी प्रदान की गई थी।

v. उपरोक्त के अलावा, विषय जांच की शुरुआत के बाद, प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से एटीएम और एसोसिएशन को ट्रेड नोटिस 05/2021 की आवश्यकताओं के अनुपालन में लागत डेटा और एनआईपी दावा दर्ज करने के लिए पत्र भेजे गए थे और आगे सत्यापन उद्देश्य के लिए उत्पादन दावे की लागत को मान्य करने वाले सहायक दस्तावेज।

vi. प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक की प्रश्नावली भेजी

i. डिंगझोउ बेस्ट हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड
ii. हांग्जो रनक्सियांग नेल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
iii. रेड ड्रैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
iv. टियांजिन जायंट स्टार हार्डवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
v. झेजियांग युआनली धातु उत्पाद समूह
vi. एको ब्रांड्स एशिया पीटीई लिमिटेड
vii. एवरी डेनिसन हांगकांग लिमिटेड
viii. चांगझौ क्या फास्टनर्स कंपनी लिमिटेड

ix. जीपी इंजन पार्ट्स कंपनी लिमिटेड
x. गुआंगडोंग माइट मैकेनिकल कंपनी लिमिटेड
xi. राइज़ टाइम इंडस्ट्रियल लिमिटेड
xii. सामे टूल्स शंघाई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
xiii. शेन्ज़ेन ग्रीन ओ टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xiv. टियांजिन ह्वेस्चुन फास्टनरों मैनुफैकु रिंग कंपनी लिमिटेड
xv. अंकल बिल्स एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड
xvi. यूनिकॉर्न (तियानजिन) फास्टनर्स कंपनी लिमिटेड
xvii. झेजियांग बेस्ट नेल इंडस्ट्रियल कंपनी

vii. जवाब में, विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दर्ज करके जवाब दिया है:

i. कूपर एंड टर्नर (निंगबो) इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
ii. झेजियांग कूपर टर्नर बेक ग्रीन एनर्जी कंपनी लिमिटेड
iii. फाइनवर्क (हुनान) न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iv. हैयान बोनुओ हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
v. टी एंड वाई हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
vi. हेबेई ज़िलाइड मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
vii. निंगबो सार्डिस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
viii. निंगबो वेइफेंग फास्टनर कंपनी लिमिटेड
ix. चेगफेंग (तियानजिन) प्रौद्योगिकी विकास कंपनी लिमिटेड।
x. एक्स. टियांजिन गुबाइट हार्डवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
xi. तियानजिन लिड हेंगटॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
xii. टियांजिन पाइबो मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
xiii. टियांजिन युफेंग स्क्रू मेकिंग कंपनी लिमिटेड
xiv. झेजियांग सुइचांग सुइगांग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
xv. झेजियांग युआनली मेटल प्रोडक्ट ग्रुप कंपनी लिमिटेड
xvi. तियानजिन झांगांग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड
xvii. शेंगहोंगरुई (तियानजिन) आयात और निर्यात ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

viii. इस प्रारंभिक अधिसूचना के प्रत्युत्तर में चीन जनगण के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों के साथ-साथ संबंधित वस्तुओं के भारतीय निर्माताओं/आयातकों ने जांच में इच्छुक पक्षों के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराया है।

क्रमांक	पार्टी का नाम	पार्टी की प्रकृति
1.	एप्ट टूल्स एंड मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	घरेलू उत्पादक
2.	चीनी गणराज्य	दूतावास
3.	नॉर्दर्न इंडिया स्क्रू मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन	संघ
4.	एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया (एएफएमआई)	संघ
5.	निंगबो दाज़ी मशीन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड,	उत्पादक/निर्यातक
6.	वेलीड इंडस्ट्रियल लिमिटेड	
7.	सिक्सी हुइचेंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	
8.	निंगबो जिंडिंग फास्टनिंग पीस कंपनी लिमिटेड	
9.	जियांग्सू योंग्यी फास्टनर कंपनी लिमिटेड	
10.	Ningbo Haixin हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड	
11.	झापू टेक्नोलॉजी (जियांग्सू) कंपनी लिमिटेड	
12.	हेनिंग हिसेनर ट्रेड कंपनी लिमिटेड	
13.	हिसेनर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	
14.	झेजियांग हाइक्सुन प्रिसिजन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	
15.	चेंगफ़ेंग (तियानजिन) प्रौद्योगिकी विकास कंपनी लिमिटेड	
16.	झेजियांग सुइचांग सुइगांग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड,	
17.	झेजियांग युआनली मेटल प्रोडक्ट ग्रुप कंपनी लिमिटेड	
18.	टी एंड वाई हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	
19.	हैयान बोनू हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	
20.	झेजियांग कूपर टर्नर बेक ग्रीन एनर्जी कंपनी लिमिटेड	
21.	कूपर एंड टर्नर (निंगबो) इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	
22.	फाइनवर्क (हुनान) न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	
23.	चेंगफ़ेंग (तियानजिन) प्रौद्योगिकी विकास कंपनी लिमिटेड	
24.	टियांजिन गुबाइट हार्डवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	
25.	टियांजिन लिड हेंगटॉन्ग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	
26.	टियांजिन पाइबो मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	
27.	टियांजिन युफेंग स्क्रू मेकिंग कंपनी लिमिटेड	

28.	निंगबो वेइफ़ेंग फास्टनर कंपनी लिमिटेड	
29.	निंगबो सार्डिस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	
30.	जियाक्सिंग डेयी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	
31.	तियानजिन जाइंट स्टार हार्डवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	
32.	हेबेई ज़िलाइड मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	
33.	झेजियांग अनशेंग ऑटोमोबाइल पार्ट्स कंपनी लिमिटेड,	
34.	संचेती ग्लोबल इंक.	आयातक
35.	भूमि एसोसिएट्स	
36.	मेसर्स निंगबो डोंगक्सिन हाई सेंथ कंपनी लिमिटेड	उत्पादक/निर्यातक
37.	जियाक्सिंग सैनक्सिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	
38.	सनमा फास्टनर (झेजियांग) कंपनी लिमिटेड	
39.	हैयान ज़िन्यू हाई स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स फैक्ट्री	
40.	केमो फास्टनर कंपनी	निर्माता
41.	टियांजिन झांगांग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड	उत्पादक/निर्यातक
42.	शेंगहोंगरुई (तियानजिन) आयात और निर्यात ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	निर्यातित माल
43.	हेबेई गुडफिक्स इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, ("फिक्सडेक्स")	निर्माता
44.	अमन एंटरप्राइज	आयातकर्ता
45.	राजेंद्र कुमार एंड कंपनी	
46.	ड्यूराबिल्ड छत समाधान	
47.	ऑल इंडिया फास्टनर्स ट्रेडर्स एसोसिएशन	संघ
48.	शेडोंग यूनिटी ज़िंग गैंग नेल्स	उत्पादक/निर्यातक
49.	राइज टाइम इंडस्ट्रियल लिमिटेड	निर्माता
50.	ब्लैक बर्न एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	आयातक
51.	राघव इंटरप्राइजेज	
52.	आरके स्टील इंडस्ट्रीज	
53.	जेआर प्रिसिजन फास्टनरों	
54.	समर्थ फास्टनर्स	
55.	संसेगा मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	
56.	सुरजन स्टील इंडस्ट्रीज	

57.	फिशर बिल्डिंग मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	
58.	सिम्को फास्टनरों	

ix. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी देने से इनकार कर दिया है या अन्यथा प्रदान नहीं किया है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणी दर्ज की है।

x. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण बयान जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, इच्छुक पार्टियों को 22 जनवरी, 2025 को जारी किया गया था और इच्छुक पार्टियों को उसी पर टिप्पणी करने के लिए 29 जनवरी, 2025 तक का समय दिया गया था। इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए सबमिशन, और इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण बयान की टिप्पणियों पर विचार किया गया है, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में साक्ष्य के साथ प्रासंगिक, गैर-दोहराव और समर्थित पाया गया है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और वस्तु</u>

6. दीक्षा के समय विचाराधीन उत्पाद को विषय जांच के लिए 'फास्टनरों' के रूप में परिभाषित किया गया था।

7. विचाराधीन प्रस्तावित उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है: शिकंजा, बोल्ट, नट, कुंडल नाखून, कंक्रीट नाखून, सी-रिंग, स्प्रिंग एंड रोल क्लिप, औद्योगिक स्टेपल पिन, स्टील स्ट्रैपिंग सील, प्लास्टिक पट्टी नाखून, केबल क्लिप नाखून, थोक नाखून, स्टील नाखून और स्टेपल पिन, बिस्तर उपभोग्य सामग्रियों, स्टील नाखून, क्लिप नाखून, ब्रैड नाखून, स्टेपल और स्टेपल पिन, आदि।

8. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 73, 82 और 83 के तहत उपशीर्षक 73170013, 73170019, 73181110-73181190, 73181200, 73181300, 73181400, 73181500, 73181600, 73181900, 82074090 और 83059010। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि प्रस्तावित पीयूसी का आयात अन्य एचएस कोड के तहत किया जा सकता है।

विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

9. विरोधी पक्षकारों ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारी प्रोडक्ट अंडर कंसीडर (पीयूसी) में "फास्टनरों"

शब्द की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करने में विफल रहा है, इसके बजाय अस्पष्ट शब्द "आदि" का उपयोग किया गया है जो पीयूसी के दायरे को अपरिभाषित छोड़ देता है। फास्टनरों का निर्माण तीन प्राथमिक धातुओं-कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील और पीतल का उपयोग करके किया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पीयूसी में इनमें से सभी या किसी भी सामग्री से बने फास्टनरों शामिल हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने विभिन्न प्रकार के फास्टनरों को अलग करने के लिए 470 से अधिक मानक विकसित किए हैं, जो सटीक परिभाषाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। निष्पक्ष और सटीक तुलना करने के लिए, पीयूसी का दायरा स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए.

10. यह आगे जोड़ा गया है कि एंटी-डंपिंग जांच के लिए आवेदन विशेष रूप से "कंक्रीट नेल्स" पर केंद्रित है, लेकिन प्राधिकारी ने सभी "फास्टनरों" को शामिल करने के लिए पीयूसी के दायरे का विस्तार किया है, जो कई वस्तुओं को शामिल करने वाली एक व्यापक श्रेणी है। उन्होंने प्राधिकारी से पीयूसी में उत्पादों की इतनी व्यापक रेंज को शामिल करने के लिए अपने औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कहा है जब मूल आवेदन कंक्रीट कीलों तक सीमित है।

11. इसके अलावा, यह कहा गया है कि प्राधिकारी को पीयूसी के दायरे को केवल उन प्रकार के फास्टनरों तक सीमित रखना चाहिए, जो प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार पीओआई के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे जाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा एक निर्धारित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति की अनुपस्थिति है, जो उत्पादों की निष्पक्ष, सेब-से-सेब तुलना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। पीयूसी में आकार, विनिर्देशों और कोटिंग्स में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के साथ विभिन्न सामग्रियों से बने विविध उत्पाद शामिल हैं, जो सभी लागत और कीमतों को बहुत प्रभावित करते हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

12. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे और प्रारंभिक अभ्यावेदन के अलावा इसी प्रकार के अनुच्छेद के संबंध में कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

13. जैसा कि दीक्षा अधिसूचना में परिभाषित किया गया है, वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद 'फास्टनरों' है।

14. विचाराधीन प्रस्तावित उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं है: शिकंजा,

बोल्ट, नट, कुंडल नाखून, कंक्रीट नाखून, सी-रिंग, स्प्रिंग एंड रोल क्लिप, औद्योगिक स्टेपल पिन, स्टील स्ट्रैपिंग सील, प्लास्टिक पट्टी नाखून, केबल क्लिप नाखून, थोक नाखून, स्टील नाखून और स्टेपल पिन, बिस्तर उपभोग्य सामग्रियों, स्टील नाखून, क्लिप नाखून, ब्रैड नाखून, स्टेपल और स्टेपल पिन, आदि।

15. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 73, 82 और 83 के तहत उपशीर्षक 73170013, 73170019, 73181110-73181190, 73181200, 73181300, 73181400, 73181500, 73181600, 73181900, 82074090 और 83059010। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि प्रस्तावित पीयूसी का आयात अन्य एचएस कोड के तहत किया जा सकता है।

16. यह ध्यान रखना उचित है कि पीयूसी और इस तरह के लेख के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए सबमिशन के बाद, आवेदकों द्वारा कोई सबमिशन/खंडन/स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि एटीएम को 29 विनिर्माताओं द्वारा समथत होने का दावा किया गया है जबकि एसोसिएशन ने संबंधित वस्तुओं के 150 विनिर्माताओं का दावा किया है। तथापि, अनेक अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, एटीएम अथवा संघ अथवा किसी अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा प्राधिकारी को अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सके। आंकड़ों/सूचना की इस कमी को देखते हुए प्राधिकारी पीयूसी के कार्यक्षेत्र, घरेलू उत्पादों जैसे उत्पादों और फास्टनरों की परिभाषा से विशिष्ट अपवर्जन की आवश्यकता का पता लगाने में सक्षम नहीं रहा है।

घ. <u>घरेलू उद्योग और स्थिति का दायरा</u>

विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

17. यह तर्क दिया गया है कि *नॉर्दर्न इंडिया स्क्रू मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन* ने दो पेज का पत्र प्रस्तुत किया है जो अप्राप्त, अहस्ताक्षरित है, और एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक डेटा का अभाव है। याचिका दायर करने के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, एसोसिएशन ट्रेड नोटिस 09/2021 के तहत अनिवार्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है। इसके अलावा, एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत नहीं की है जो आवेदन के संबंध में समर्थन, विरोध या तटस्थ रहते हैं, जो इसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नतीजतन, प्राधिकारी से इस जांच में एक आवेदक के रूप में एसोसिएशन की पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया जाता है।

18. एसोसिएशन ट्रेड नोटिस 09/2021 के अनुसार जानकारी जमा करने के लिए आवश्यक समयसीमा

को पूरा करने में भी विफल रहा है और आवेदन पर अपने रुख का संकेत देने वाले सदस्यों की सूची प्रदान नहीं की है, जिससे एसोसिएशन की स्थिति का आकलन करना मुश्किल हो गया है।

19. याचिका में घरेलू उत्पादकों के नाम, उत्पादन क्षमता, बिक्री डेटा और क्षति के दावों के आधार जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने प्रोफार्मा IVA सहित ट्रेड नोटिस नंबर 05/2021 की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है, जिसके लिए विस्तृत डेटा जमा करने की आवश्यकता होती है।

20. नियम 5(3) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की पात्रता एक मुख्य अपेक्षा है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि आवेदकों को घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए उत्पादन क्षमता के 25% और 50% की सीमा को पूरा करना होगा। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने अपनी पात्रता प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त गैर-गोपनीय जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। इस बात पर स्पष्टता के बिना कि कौन से घरेलू उत्पादक मानदंडों को पूरा करते हैं, घरेलू उद्योग का निर्धारण करना और उसके बाद डंपिंग और क्षति का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच को आगे बढ़ाने से पहले घरेलू उत्पादकों की पात्रता को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

21. एटीएम और एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि भारतीय उद्योग में लघु और सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं, जो ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में आती हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं। अत संपूर्ण भारतीय उद्योग के उत्पादन से संबंधित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं और अभ्यावेदनों में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। हालांकि, एटीएम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अभ्यावेदन में यह दावा किया गया है कि एटीएम प्राइवेट लिमिटेड सहायक कंपनियों के साथ कंक्रीट कीलों के कुल भारतीय उत्पादन का 30% है।

22. अभ्यावेदनों में आगे यह भी कहा गया था कि एटीएम को 29 घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है, जबकि एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व लगभग 150 घरेलू उत्पादकों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, आवेदकों द्वारा दायर आवेदन का स्पष्ट रूप से विरोध करते हुए किसी अन्य घरेलू निर्माता द्वारा कोई अभ्यावेदन दायर नहीं किया गया था।

23. एसोसिएशन ने अपने प्रतिनिधित्व में दावा किया था कि उसके सदस्य एडी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत परिभाषित "घरेलू उद्योग" का गठन करते हैं और व्यापार नोटिस संख्या 09/2021

दिनांक 29 जुलाई 2021 के साथ पठित एडी नियमों के नियम 5 (3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

24. पाटनरोधी जांचों में घरेलू उद्योग की स्थिति का समाधान सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अंतर्गत किया जाता है। नीचे प्रासंगिक प्रावधान दिए गए हैं:

नियम 2 (बी): घरेलू उद्योग की परिभाषा

25. यह नियम घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"घरेलू उद्योग" का अर्थ है घरेलू उत्पादक एक पूरे के रूप में समान वस्तु के निर्माण में लगे हुए हैं या वे जिनके उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित डंप की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द का शेष निर्माता।

26. इस प्रकार

- घरेलू उद्योग में भारत में **इस तरह की वस्तुओं के** उत्पादकों को शामिल किया जाना चाहिए।
- निर्यातकों/आयातकों से संबंधित उत्पादकों अथवा स्वयं आयातक को बाहर रखा जाए ।
- आवेदकों का सामूहिक उत्पादन **कुल घरेलू उत्पादन का** एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए।

नियम 5(4): स्थायी की समीक्षा

27. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकारी *स्व*-प्रेरणा से अन्वेषण आरंभ कर सकेगा यदि यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त से प्राप्त सूचना से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हो कि उपनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अस्तित्व के बारे में पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है।

28. जबकि नियमों के नियम 5(4) के तहत विषय की जांच शुरू की गई थी, प्राधिकारी नोट करता है कि इस प्राधिकारी से बार-बार अनुरोध और अनुस्मारक के बावजूद, जिसमें कई बैठकें, व्यक्तिगत

और आभासी दोनों, और ईमेल संचार (दिनांक 15 फरवरी, 2024, 20 फरवरी, 2024, 22 फरवरी, 2024, और 14 अगस्त, 2024) शामिल हैं, एसोसिएशन ने उक्त बैठकों में अपने आश्वासन के बावजूद, (ग) सरकार शुरू किए जाने के समय किए गए दावों को प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराने में विफल रही है। विशेष:

क. एसोसिएशन ने फास्टनरों के लगभग 150 घरेलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। हालांकि, इस दावे को मान्य करने के लिए कोई दस्तावेजी या अन्य सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है।

ख. एटीएम द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अलावा एसोसिएशन के किसी भी सदस्य से अपेक्षित लागत डेटा या क्षति के दावों का कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।

29. निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच करने के लिए प्राधिकारी के लिए पूर्ण और सटीक डेटा प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। आवश्यक सूचना के बिना, कथित पाटन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने की प्राधिकारी की क्षमता गंभीर रूप से बाधित हुई है।

30. उपरोक्त के बावजूद, प्राधिकारी ने एसोसिएशन को 16 जनवरी, 2025 तक अपने सदस्य उत्पादकों की पर्याप्त संख्या के लिए निर्धारित प्रारूपों में पूर्ण लागत और क्षति डेटा प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया।

31. इसके अलावा, प्राधिकारी ने 17 जनवरी 2025 को इस मामले पर चर्चा करने के लिए एसोसिएशन सहित घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी बुलाई और एसोसिएशन और एटीएम को इसकी विधिवत सूचना दी गई। तथापि, न तो कोई आंकडे प्रस्तुत किए गए और न ही किसी घरेलू उत्पादक द्वारा बैठक के अवसर का लाभ उठाया गया।

32. हालांकि, एटीएम ने अपने जवाब में प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपनी ओर से सभी उपलब्ध इनपुट और रिकॉर्ड प्रदान किए हैं और क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के कारण व्यापक डेटा प्राप्त करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है, जिसमें अति लघु, कुटीर, लघु और सूक्ष्म स्तर के निर्माता शामिल हैं। इन निर्माताओं को व्यवस्थित करने के प्रयासों के बावजूद, निर्माता स्वीकार करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करना बहुत थकाऊ था और अंततः अप्राप्य था। नतीजतन, वे निष्कर्ष निकालते हैं कि इस मामले पर प्रगति की संभावना नहीं है।

33. मामले की जांच की गई है और यह पाया गया है कि एटीएम एंड एसोसिएशन को छोड़कर किसी भी घरेलू उत्पादक ने जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इसके अलावा, कई अवसरों के बावजूद, घरेलू उत्पादकों ने खंडित उद्योग द्वारा

आवेदन दायर करने के संबंध में दिनांक 29 जुलाई 2021 के व्यापार नोटिस 09/2021 की आवश्यकताओं का भी अनुपालन नहीं किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात का पता लगाने में सक्षम नहीं रहा है। उपर्युक्त को देखते हुए, इस विषय मामले में घरेलू उद्योग का निर्धारण करना संभव नहीं है।

ङ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग मार्जिन</u>

34. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करता है:

धारा 9 ए (1) (सी) के तहत, एक लेख के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

i.तुलनीय मूल्य, व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, समान वस्तु के लिए, जब निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए अभिप्रेत हो, जैसा कि उप-धारा (5) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है, या

ii.जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में इस तरह की वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब विशेष बाजार की स्थिति या कम होने के कारण निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्री की मात्रा, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, सामान्य मूल्य या तो होगा:

(अ) उप-धारा (5) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र या उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किए जाने पर समान वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य; या

मूल देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों के लिए उचित जोड़ के साथ, और मुनाफे के लिए, जैसा कि उप-धारा (5) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया है;

(आ) परन्तु उस मूल देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात की दशा में और जहाँ वस्तु केवल निर्यात के देश से होकर अंतरित की गई है या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं की गई है या निर्यात के देश में कोई तुलनीय मूल्य नहीं है, सामान्य मूल्य मूल देश में उसकी कीमत के संदर्भ में अवधारित किया जाएगा।

35. यह ध्यान दिया जाता है कि एडी नियमों के अनुलग्नक- I के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण के तीन तरीके निर्धारित किए गए हैं: (ए) बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) भारत सहित किसी तीसरे देश से अन्य देशों को निर्यात मूल्य; और (सी) किसी अन्य उचित आधार पर। प्राधिकारी नोट करता है कि एडी नियमों के अनुलग्नक- I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य

मूल्य पहले एक सरोगेट देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, या ऐसे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात की कीमत के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। जांच की शुरुआत के बाद, न तो एटीएम और न ही एसोसिएशन और न ही किसी अन्य इच्छुक पार्टी ने विचार के लिए सरोगेट देश का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, यह देखा गया है कि पीयूसी के लिए कोई समर्पित हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोड नहीं है. नतीजतन, अपर्याप्त उपलब्ध जानकारी के प्रकाश में, प्राधिकारी को प्रासंगिक प्रावधानों में उल्लिखित तीसरी विधि का उपयोग करके सामान्य मूल्य का निर्माण करना होगा, विशेष रूप से किसी अन्य उचित आधार पर भरोसा करते हुए, जिसमें वास्तव में भुगतान की गई कीमत या भारत में देय मूल्य शामिल है।

36. अत प्राधिकारी की पद्धति के अनुसार निमत सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर किया जाना होता है। तथापि, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने अपेक्षित और पर्याप्त आंकड़े/सूचना प्रस्तुत नहीं की है ताकि प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्माण कर सके।

37. यह नोट किया जाता है कि आवेदकों ने घरेलू उद्योग के लिए पात्र घरेलू उत्पादकों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है और इस सूचना के अभाव में प्राधिकारी जांच के विषय में घरेलू उद्योग का निर्धारण नहीं कर पाया है। अत संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के सामान्य मूल्य और पाटन माजन का निर्माण करने के लिए प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और डंपिंग माजन के मुद्दों पर इच्छुक पाटयों की टिप्पणियों पर विचार अथवा जांच नहीं की है।

च. <u>क्षति और कारण लिंक</u>

विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से प्रस्तुतियाँ

38. एप्ट टूल्स एंड मशीनरी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (एटीएम) का यह अभ्यावेदन कि उन्हें कम क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा में गिरावट, घाटे, बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आदि के कारण नुकसान हुआ है, सही नहीं है क्योंकि वे एक लाभदायक कंपनी हैं और मौजूदा मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। प्रतिनिधित्व बिक्री बढ़ाने के लिए सुरक्षा मांगने पर अधिक आधारित है।

घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुतियाँ

39. एटीएम ने प्रस्तुत किया है कि क्षमता, उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता, बिजली की खपत, कच्चे माल की खपत, प्रशासनिक और बिक्री ओवरहेड्स, और उत्पादन की लागत जैसे प्रमुख

पैरामीटर लगातार असामान्य लागत के किसी भी संकेत के बिना स्थिर रहे हैं। इस स्थिरता के बावजूद, समय के साथ विचाराधीन उत्पाद के बिक्री मूल्य में वृद्धि करने में असमर्थता के कारण लाभप्रदता में गिरावट आई है। इस प्रभाव को कम करने के लिए, कंपनी विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के अलावा व्यापारिक गतिविधियों में लगी हुई है। इस रणनीति का उद्देश्य बिक्री मूल्य बढ़ाने में असमर्थता की भरपाई के लिए व्यापारिक कारोबार में वृद्धि करके विनिर्माण से घटते राजस्व की भरपाई करना है।

प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

40. नियमों के अनुलग्नक- II में उल्लिखित क्षति के निर्धारण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

घरेलू उद्योग को तात्विक क्षति की क्षति या खतरे या ऐसे उद्योग की स्थापना की भौतिक मंदता का निर्धारण करते समय, जिसे इसके पश्चात् "क्षति" और पाटित आयातों और ऐसी क्षति के बीच आकस्मिक संबंध कहा गया है, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेगा।

41. इसके अलावा, अनुबंध 2 के नियमों (V) के अनुसार कारण लिंक के संबंध में, यह कहा गया है कि,

> (v) यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि डंप किए गए आयात, डंपिंग के प्रभावों के माध्यम से, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ (ii) और (iv) में निर्धारित किया गया है, घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहा है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कार्य-कारण संबंध का प्रदर्शन पदनामित प्राधिकारी के समक्ष संगत साक्ष्य की जांच पर आधारित होगा। पदनामित प्राधिकारी पाटित आयातों के अलावा किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों, जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, की भी जांच करेगा और इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति को पाटित आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटन मूल्यों पर न बेचे जाने वाले आयातों की मात्रा और मूल्य, मांग में कमी अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल हैं

42. पूर्वगामी के अनुसार, जांच में पहचाने गए घरेलू उद्योग के लिए क्षति निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है। क्षति का आकलन घरेलू उद्योग से सत्यापित डेटा पर निर्भरता रखता है, जिसमें उत्पादन, क्षमता, बिक्री, लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी के रुझान शामिल हैं। सूचना के अभाव

में नियमों के अनुसार घरेलू उद्योग का निर्धारण करना संभव नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच करना संभव नहीं है।

43. प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यत पाटनरोधी व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुन स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से संबंधित देश से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार उपचारात्मक जांचों का उद्देश्य व्यापार विकृतिकारी आयातों के विरुद्ध उपयुक्त शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों को पुन प्राप्त करना है। तथापि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, घरेलू उत्पादकों से संगत आंकड़ों/सूचना की घोर कमी के कारण आवेदकों की घरेलू उद्योग स्थिति का मूल्यांकन और डंपिंग, क्षति और कारण लिंक का प्रमाण देते हुए पूरा आवेदन दायर करना संभव नहीं हो पाया है।

छ. <u>पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियां</u>

छ.1 विरोधी इच्छुक पक्षों की ओर से किए गए प्रकटीकरण प्रस्तुतियाँ पोस्ट करें।

44. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां दायर की गई हैं:

क. भारत में प्रदूषण नियंत्रण आयोग की भारी घरेलू खपत/मांग को पूरा करने में घरेलू उत्पादकों की अक्षमता। अधिकतम तीन (3) घरेलू उत्पादक भारत में पीयूसी का निर्माण कर रहे हैं। घरेलू उत्पादक केवल कुछ प्रकार के फास्टनरों का निर्माण करते हैं, जबकि अन्य प्रकार के फास्टनरों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार चीन पीआर से आयात किया जाता है। एटीएम (आवेदक/घरेलू उत्पादक) वांछित गुणवत्ता के अनुसार उत्पादों का निर्माण नहीं करता है, जो पीयूसी के भारतीय उपयोगकर्ताओं को आयातित गुणवत्ता वाले उत्पादों पर भरोसा करने के लिए मजबूर करता है। घरेलू उत्पादक आमतौर पर अपने क्षेत्र क्षेत्र या आस-पास के स्थान के भीतर पीयूसी की मांग को पूरा करते हैं।

ख. अन्य इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि आवेदक उद्योग ने व्यापार नोटिस संख्या 09/2021 का अनुपालन नहीं किया है और जांच में सहयोग करने में विफल रहा है। प्राधिकारी द्वारा कई अनुस्मारक और अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद, आवेदक उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे, घरेलू उद्योग की स्थिति, सामान्य मूल्य, डंपिंग, क्षति और कारण

लिंक के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। सहयोग की इस कमी ने जांच में बाधा उत्पन्न की है, जिससे प्राधिकारी के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के लिए आवश्यक मापदंडों को निर्धारित करना असंभव हो गया है।

ग. अन्य इच्छुक पार्टियों ने पीयूसी के दायरे का पता लगाने में असमर्थता के बारे में चिंता जताई है. जबकि आवेदक, एप्ट टूल्स एंड मशीनरी (एटीएम) ने 29 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, और एसोसिएशन ने 150 निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, इन दावों को मान्य करने के लिए कोई सहायक डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एंटी-डंपिंग ड्यूटी के लिए आवेदक का प्रारंभिक अनुरोध केवल कंक्रीट नाखूनों के लिए था, फिर भी जांच में फास्टनरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। पीयूसी और इसी तरह के लेखों के बारे में आवेदक से प्रस्तुतियाँ या स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति के कारण, प्राधिकारी जांच के दायरे को परिभाषित करने में असमर्थ रहा है।

घ. उत्तरदाताओं का यह भी तर्क है कि आवेदक उद्योग घरेलू उत्पादन के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें आगे यह भी जोड़ा गया है कि एटीएम और एसोसिएशन के अलावा, किसी अन्य घरेलू उत्पादक ने इच्छुक पार्टियों के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है। इसके अलावा, घरेलू उत्पादक ट्रेड नोटिस 09/2021 की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे हैं, जो खंडित उद्योगों को सामूहिक रूप से आवेदन जमा करने के लिए अनिवार्य करता है। नतीजतन, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की स्थिति को निर्धारित करने में असमर्थ रहा है और क्या आवेदक याचिका दायर करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग के असहयोग के कारण, प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य या डंपिंग मार्जिन स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है क्योंकि आवेदकों ने इन मूल्यों के निर्माण के लिए पर्याप्त डेटा प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कथित डंपिंग या क्षति का कोई भी आकलन असंभव हो गया है।

च. उत्तरदाताओं ने जोर दिया कि एंटी-डंपिंग उपायों का उद्देश्य आयात को प्रतिबंधित करने के बजाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बहाल करना है। हालांकि, इस मामले में, आवेदक उद्योग कर्तव्यों को लागू करने को सही ठहराने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करने में विफल रहा है। चूंकि क्षति, कारण लिंक या डंपिंग का कोई स्पष्ट सबूत स्थापित नहीं किया गया है, इसलिए उत्तरदाताओं ने जांच को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने नियम 6(8) का हवाला दिया है, जो प्राधिकारी को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच समाप्त करने की अनुमति देता है यदि कोई इच्छुक पक्ष आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहता

है।

छ.2: आवेदक(ओं) द्वारा किए गए प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुतियाँ

45. एटीएम या एसोसिएशन (एसोसिएशन) द्वारा प्रकटीकरण बयान के बाद कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

46. विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों और जांच के दौरान एकत्र किए गए तथ्यों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने पाया कि आवेदक उद्योग से जानकारी की कमी के कारण जांच को प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे, घरेलू उद्योग की स्थिति, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन और क्षति के आकलन सहित प्रासंगिक डेटा और जानकारी प्रदान करने में विफलता ने जांच प्रक्रिया में काफी बाधा उत्पन्न की है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग के गठन, पाटन माजन, घरेलू उद्योग को क्षति और कार्य-कारण लिंक का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित आवश्यक तथ्य स्थापित करने में असमर्थ रहा है।

47. यह भी ध्यान दिया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए कई अवसरों के बावजूद, आवेदक उद्योग, जिसका प्रतिनिधित्व उपयुक्त उपकरण और मशीनरी (एटीएम) और एसोसिएशन द्वारा किया गया है, ने व्यापार सूचना संख्या 09/2021 में निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। इसके अलावा, एटीएम को छोड़कर, जिसे कई अन्य भारतीय उत्पादकों में से एक कंपनी कहा जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा जांच के लिए अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अन्य घरेलू उत्पादकों से सहयोग की कमी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग का अधूरा प्रतिनिधित्व हुआ है और जांच में बाधा उत्पन्न हुई है।

ज. <u>निष्कर्ष</u>

48. चीन पीआर में उत्पन्न या निर्यात किए गए 'फास्टनरों' के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.09.2023 की अपनी प्रारंभिक अधिसूचना के माध्यम से स्वतः शुरू की गई थी। पहल पर, प्राधिकारी ने नियम 6 के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के सभी भारतीय उत्पादकों को प्राधिकारी के साथ सहयोग करने और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। तथापि, कोई भी घरेलू उत्पादक जांचाधीन उत्पाद जैसे वस्तुएं, घरेलू उद्योग का गठन, पाटन माजन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित संगत सूचना उपलब्ध कराने

के लिए आगे नहीं आया है।

49. सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पहचान और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम 14 (बी), (इसके बाद "नियम" या "एडी नियम" के रूप में भी संदर्भित) निम्नानुसार प्रदान करता है:

"14. जांच की समाप्ति। - नामित प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना जारी करके, तुरंत एक जांच समाप्त कर देगा यदि -

.....

(ख) जांच के दौरान यह संतुष्ट है कि जांच जारी रखने को न्यायोचित ठहराने के लिए डंपिंग या जहां लागू हो, क्षति के पर्याप्त सबूत नहीं हैं

50. विज्ञापन नियमों के नियम 6 (8) में निम्नानुसार प्रावधान हैं:

"6. जांच को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत। - .....:-

(8) ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार पहुंच से इंकार करता है, या अन्यथा युक्तियुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या अन्वेषण में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, अभिहित प्राधिकारी उसे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा जो वह ऐसी परिस्थितियों में ठीक समझे।

51. विषय की जांच शुरू होने के बाद घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिए, प्राधिकारी नोट करता है कि एडी नियमों के नियम 14 (बी) के अनुसार जांच जारी रखने को सही ठहराने के लिए डंपिंग और क्षति का कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि जब इच्छुक पार्टी आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करती है, तो प्राधिकारी को एडी नियमों के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना आवश्यक है। इस प्रकार, अपेक्षित आंकड़ों की कमी के कारण, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के साक्ष्य के संबंध में कोई निर्धारण करने में असमर्थ है।

52. इसलिए, प्राधिकारी एडी नियमों के नियम 6 (8) के साथ पठित नियम 14 (बी) के संदर्भ में वर्तमान जांच को समाप्त करने के लिए विवश है।

झ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

53. इस अधिसूचना के विरुद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी